न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 69/17

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री परमजीत सिंह जाति जटसिख उम्र 38 साल निवासी चक 2 एम.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी

बनाम

1. हरबंशसिंह पुत्र श्री परमजीत सिंह जाति जटसिख उम्र 38 साल निवासी चक 2 एम.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलदीप सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख उम्र 50 साल निवासी चक 2 एम.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–
1. श्री रणवीर सिंह वकील प्रार्थी
2. एकतरफा कार्यवाही

दिनांकः–16.07.2019

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि चक 2 एमके के मु.नं. 25 पं.नं. 123/282 के कि.नं. 8/3 में .063 है0, 14 सालम, 15/2 में .190, 16/1 में .089, 17, 18, 19, 20 सालम कुल 1.607 है0 नहरी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 2 एमके मु.नं. 25 पं.नं. 123/282 के कि.नं. 5–6 में 02–02 बिस्वा व कि.नं. 15 में 16 1/2 फीट चौड़ा तथा 0–04 बिस्वा लम्बाई तक मुरब्बा लाईन के चिपता हुआ पूर्वी दिशा की ओर से रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 बावजूद इतला के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं रिपोर्ट तहसीलदार ली गई। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/19/1249 [illegible] चक 2 एमके मु.नं. 25 के कि.नं. 8/3 में .063, 14 में .253, 15/2 में .190, 16 [illegible] में .0[illegible] कि. नं. 17 ता 20 कुल 1.607 है0 भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार[illegible] दर्ज है [illegible] प्रार्थी मु.नं. [illegible] कि. नं. 15/2 में .190 है0 में काश्त हेतु रास्ते की मांग की है। [illegible] लिए अन्य कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही है। प्रार्थी मु.नं. 25 के कि.नं. 5/1 में पूर्वी पासा .013 है0, 5/2 में .012, कि.नं. 6/.025, 15 में पूर्वी पासा .006 है0 रास्ता स्वीकृत कराना

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(५९)

चाहता है। मु.नं. 25 का कि.नं. 5/1, 6, 15 कुलदीप सिंह पुत्र जगराज सिंह के नाम दर्ज है। कि.नं. 5/2 हरबंश सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जटसिख के नाम खातेदार दर्ज है। कोई विवाद स्थगन नही है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुद्धा रास्ता नही है। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने भी अपने जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नही है। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है एवं अप्रार्थीगण द्वारा कोई एतराजात भी पेश नही किये है।

लिहाजा प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए चक 2 एमके के मु.नं. 25 प.नं. 123/282 के कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 02–02 बिस्वा व कि.नं. 15 में $16^{1/2}$ फीट चौड़ा तथा 0–04 बिस्वा लम्बा रास्ता मुरब्बा लाईन के चिपता हुआ पूर्वी दिशा की ओर से रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले प्रत्येक अप्रार्थी खातेदार को रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी. दर के दो गुणा राशि का भुगतान करेगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर स्वीकृत शुद्धा गैर मुमकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.23 14:13:36 IST
Reason: SelfAttested